26/3/25

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुयी है। प्रार्थी ने यह प्रा० पत्र डिक्री के निष्पादन बाबत अन्तर्गत आदेश 21 नियम-11, व्यवहार प्रक्रिया संहिता पेश किया है। प्रार्थीगणों की ओर

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय: सहायक कलक्टर शहर प्रथम प्रा० [illegible] बनाम [illegible]

केस संख्या प्रा० पत्र इजराय - 33/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	26/3/25	अप्रार्थीगणों की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि प्रार्थी/डिक्रीदारान द्वारा इजराय आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि "माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री की अनुपालना में प्रार्थीगण को विवादित भूमि पर तारबंदी करने हेतु पुलिस थाना- सांगानेर से पुलिस इमदाद दिलवायी जावे।" प्रार्थीगणों ने इजरा प्रार्थना-पत्र के साथ न्यायालय सहायक कलेक्टर, जयपुर शहर, प्रथम द्वारा	

सहायक कलक्टर
शहर प्रथम

फर्द अहकाम

श्री ओमप्रकाश [illegible] बनाम श्रीपति [illegible]

न्यायालय सहायक कलक्टर [illegible] शहर प्रथम

संख्या [illegible] 33324

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
06/3/25	पारित निर्णय के आदेश एवं डिक्री दिनांक 30.04.2012 की प्रमाणित प्रतियाँ पेश की है। मानवीय न्यायालय के आदेश दिनांक 30.04.2012 एवं डिक्री दिनांक 30.04.2012 का अवलोकन किया गया। उक्त आदेश व डिक्री में अंकित है कि " प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगणों को उनकी कब्जेशुदा खातेदारी की भूमि खसरा नं. 304, 306 क्रमशः रकबा 1/2 बीघा, 1 बीघा 4 बिस्वा, जिसके हाल खसरा नं. 530, 532 ग्राम सांगानेर जिला	

फर्द अहकाम

कै. [illegible]

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

केस संख्या [illegible] 33/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	26/3/25	जयपुर में स्थित है, जिसके वर्तमान सेटलमेन्ट नम्बर 3657, 3658 कुल किता 2 कुल रकबा 0.33 हे० है, के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना करें, ना ही उन्हें उक्त आराजीयात की भूमि से जबरिया बेदखल करे, ना उक्त आराजीयात को किसी अन्य के हक में किसी प्रकार से हस्तान्तरित करे, ना ही अन्य किसी से करावे।" उक्तानुसार माननीय न्यायालय की डिक्री में कहीं भी विवादित भूमि पर डिक्रीदारान को तारबंदी करवाए जाने का और पुलिस इमदाद दिलवाए जाने का	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

श्री० [illegible] बनाम श्रीमति [illegible]

नाम न्यायालय [illegible] कलक्टर शहर प्रथम

केस संख्या [illegible] डिग्री 33/24

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	26/3/25	उल्लेख नहीं है। प्रार्थीगणों / डिक्रीदारान द्वारा चाहा गया अनुतोष डिक्री दिनांक 30.04.2012 के अनुरूप नहीं है। अतः प्रार्थीगणों का प्रा०पत्र अन्तर्गत आदेश 21 नियम -11, डिक्री का निष्पादन किए जाने हेतु, सारहीन होने से खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 26.3.25 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम	